विषय सूची

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार 1
2. परिभाषाएं 2
3. अधिनियम का लागू होना 4
4. किसी उपनिवेश को अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत करने की शक्ति 5
5. काश्तकारी और भू-राजस्व विधियों का लागू होना 5
6. उपनिवेश अधिकारियों को राजस्व न्यायालयों की शक्तियों का प्रदान किया जाना... 6
7. काश्तकारी की शर्तों का विवरण जारी करना 6
8. शर्तों का विधिक प्रभाव 7
9. खेतों का आयतीकरण तथा भूमि विकास कार्यों का निष्पादन एवं संधारण 7
10. गांव की सामान्य आवश्यकताओं के लिए क्षेत्र का आरक्षण 9
11. काश्तकार द्वारा गलत सूचना देना 9
12. विनिमय 9
13. अधिकारों का हस्तान्तरण 10

13क. कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण और अन्तरण के लिए सम्मति की घोषणा 11

14. शर्तों के भंग के लिए शास्ति 16
15. पुनः प्रवेश की शक्ति तथा कतिपय मामलों में क्षतिपूर्ति के बारे में उपबन्ध 17
16. निवासीय प्रयोजनों के लिए आवण्टित स्थलों पर निर्माणों के लिए क्षतिपूर्ति तथा उन पर पुनः प्रवेश के लिए उपबन्ध 17
17. कतिपय काश्तकारी तथा शर्तों की व्यावृति 17
18. राज्य सरकार, की देय राशियां भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय 18
19. शर्तों के निराकरण की शक्ति 18
20. कतिपय खातेदार काश्तकारों पर लागू होने वाली विशेष शर्तें 18
21. कतिपय पशुओं की कुर्की या विक्रय के लिये दायित्वाधीन न होना 18
22. भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग तथा पुनः प्रवेश 18
23. शास्तियां 20
24. अपराधों के संबंध में कलक्टर की अतिरिक्त शक्तियां 21
25. अधिनियम के अधीन उद्भूत होने वाले मामलों के संबंध में सिविल न्यायलय के अधिकार क्षेत्र का वर्जन 21
26. इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के लिए लोक सेवकों का बचाव 22
27. अधिनियम के पूर्व पारित आदेशों का वैधीकरण 22
28. नियम बनाने की शक्ति 22
29. नियमों इत्यादि का राज्य विधान-मण्डल के संकलन द्वारा विखण्डन या उतान्तरण के अध्ययधीन होना 22
30. विलोपित 22

अनुसूची 23

अधिसूचना 24-26

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954[1]

(1954 का अधिनियम संख्या 27)

[महामान्य राजप्रमुख की अनुमति 17 दिसम्बर, 1954 को प्राप्त हुई]

निम्नलिखित के द्वारा यथा संशोधित :–

1. 1957 का राजस्थान अधिनियम सं. 27, दिनांक 13.08.1957 से प्रभावी;
2. 1958 का राजस्थान अधिनियम सं. 38, दिनांक 01.12.1958 से प्रभावी;
3. 1962 का राजस्थान अधिनियम सं. 08, दिनांक 16.11.1961 से प्रभावी;
4. 1974 का राजस्थान अधिनियम सं. 23, दिनांक 22.09.1974 से प्रभावी;
5. 1976 का राजस्थान अधिनियम सं. 04, दिनांक 24.01.1976 से प्रभावी;
6. 1983 का राजस्थान अधिनियम सं. 12, दिनांक 05.08.1983 से प्रभावी;
7. 1984 का राजस्थान अधिनियम सं. 12, दिनांक 04.05.1984 से प्रभावी;
8. 1987 का राजस्थान अधिनियम सं. 02, दिनांक 03.01.1987 से प्रभावी;
9. 1989 का राजस्थान अधिनियम सं. 12, दिनांक 07.09.1988 स प्रभावी;
10. 1990 का राजस्थान अधिनियम सं. 15, दिनांक 01.01.1990 से प्रभावी;
11. 1991 का राजस्थान अधिनियम सं. 16, दिनांक 01.07.1991 से प्रभावी;
12. 1992 का राजस्थान अधिनियम सं. 14, दिनांक 01.01.1991 से प्रभावी;
13. 1995 का राजस्थान अधिनियम सं. 28, दिनांक 18.11.1995 से प्रभावी; और
14. 2007 का राजस्थान अधिनियम सं. 05, दिनांक 31.05.2007 से प्रभावी।

राजस्थान राज्य में उपनिवेशन और भूमि के प्रशासन के लिए अधिक अच्छे उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल यह अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 है।

[2][(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में हैं।]

2. परिभाषाएं – जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

(i) ''कलक्टर'' से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है, उसमें –

(क) इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के समस्त कृत्यों या उनमें से किसी भी कृत्य का पालन करने और उसकी समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी; और

(ख) उपनिवेशन के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् नियुक्त कोई अधिकारी सम्मिलित है;

[3][(ii) ''उपनिवेश'' से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी आदेश से, या लघु सिंचाई परियोजनाओं के

---

1. राजस्थान राज-पत्र भाग IV-क ई, दिनांक 24.12.1954 में प्रकाशित।
2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1991 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 द्वारा प्रतिस्थापित।

संबंध में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कलक्टर के किसी आदेश से, इस अधिनियम को लागू किया जायेगा;]

(iii) [1][x x x x]

(iv) "सुधार" से –

(क) कुओं, तलाबों, बांधों तथा जलसरणियों का बनाया जाना और उनका नवीकरण; और

(ख) वृक्ष लगाना और भूमि में जल-निकास करना, उसे कृषि योग्य बनाना, साफ करना, समतल करना, सीढ़ीदार बनाना तथा उनकी मेड़बंदी करना, अभिप्रेत है :

परन्तु उसमें ऐसे अस्थायी संकर्म सम्मिलित नही है, जो काश्तकारों या शिकमी काश्तकारों द्वारा, बिना कोई विशेष व्यय किये, कृषि के साधारण अनुक्रम में किये जाते है;

[2][(v) "भूमि" से निम्नलिखित प्रवर्गों में से समस्त या किसी भी प्रवर्ग की भूमि अभिप्रेत है :–

(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 5 के खण्ड (24) में परिभाषित भूमि;

(ख) राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 24) के उपबन्धों के अधीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी शैक्षिक संस्था के प्रयोजनार्थ अर्जित भूमि, जब तक कि उक्त भूमि सरकार या उक्त स्थानीय प्राधिकारी या शैक्षिक संस्था, यथास्थिति, की सम्पत्ति रहती है;

(ग) ऐसी भूमि, जो, चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात सरकारी भूमि या किसी स्थानीय प्राधिकारी की भूमि के रूप में अभिलिखित की गई है तथा सर्वेक्षित की गई है तथा जिसका उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन, जैसे सड़क के लिये होता है;

(घ) समाज के उपयोग के लिये यथापूर्वोक्त अभिलिखित तथा संर्वेक्षित भूमि, जैसे गोचर, शमशान, कब्रिस्तान, सड़क या रास्ते;

(ङ) हस्तान्तरण द्वारा अथवा अन्यथा प्राप्त की गई भूमि, जो सरकार या किसी स्थानीय प्रधिकारी के कब्जे में है;

(च) राज्य सरकार में निहित, किसी नगरपालिका या किसी पंचायत क्षेत्र या किसी गांव, नगर या शहर की सीमाओं के भीतर की आबादी भूमि, और

(छ) किसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित आबादी क्षेत्र की भूमि या आबादी या मण्डियों के विकास के लिये या अन्य सार्वजनिक अथवा नगरपालिक प्रयोजनों के लिये अभिलिखित और अलग रखी भूमि;

और उसमें ऐसी भूमि से तथा भूबद्ध किसी भी चीज से स्थायी रूप से आबद्ध चीजों से होने वाले फायदे सम्मिलित हैं;

---

1. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 08 द्वारा विलोपित।
2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 द्वारा प्रतिस्थापित।

(vi) ''व्यक्तिगत रूप से जोती गई भूमि'' से इसके समस्त व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों के साथ स्वयं किसी व्यक्ति द्वारा –

(i) उसके स्वयं के श्रम द्वारा; या

(ii) उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम के द्वारा; या

(iii) नकद में या वस्तु के रूप में (किन्तु फसल में हिस्से के रूप में नहीं) संदेय मजदूरी पर नौकरों द्वारा अथवा उसकी स्वयं की देख-रेख या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उसके प्रबन्धक या एजेण्ट की व्यक्तिगत देख-रेख में किराये के श्रमिकों द्वारा;

जोती गई भूमि अभिप्रेत है :

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो कोई विधवा अथवा अवयस्क है या किसी शारीरिक अथवा मानसिक निरोग्यता के अध्यधीन है या भारत की सैनिक, नौ सैनिक सेवा का सदस्य है या जो, राज्य सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था का छात्र होते हुए पच्चीस वर्ष की आयु से कम का है, ऐसी व्यक्तिगत देख-रेख के अभाव में भी भूमि व्यक्तिगत रूप से जोती गई समझी जायेगी।

[1][(vi-क) ''**वृहत् सिंचाई परियोजना**'' से 10,000 हैक्टेयर से अधिक के किसी खेती योग्य सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिए भू-पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सन्निर्मित अभिप्रेत है;

(vi-ख) ''**मध्यम सिंचाई परियोजना**'' से 2,000 हैक्टेयर से अधिक किन्तु 10,000 हैक्टेयर से अनधिक के खेती-योग्य सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिए भू-पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सन्निर्मित संकर्म अभिप्रेत है;

(vi-ग) ''**लघु सिंचाई परियोजना**'' से 2,000 हैक्टेयर तक के किसी खेती योग्य सिंचित क्षेत्र की सिंचाई के लिए भू-पृष्ठ जल के उपयोग हेतु सन्निर्मित संकर्म अभिप्रेत है;

(vii) ''**विहित**'' से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन जो विहित किया गया है, अभिप्रेत है;

[2][(vii-क) ''**परियोजना अधिकारी**'' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी को शक्तियों का प्रयोग करने एवं समनुदेशित कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है;]

(viii) ''**सार्वजनिक प्रयोजन**'' में विभिन्न भूमिहीन काश्तकारों में कृषि भूमि का उचित और सामयिक वितरण सम्मिलित है;

[3][(viii-क) ''**तहसीलदार**'' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अधीन नियुक्त तहसीलदार अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम के अधीन तहसीलदार के कृत्यों को करने एवं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी सम्मिलित है;]

---

1. 1991 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 द्वारा जोड़ा गया।
3. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा जोड़ा गया।

(ix) "काश्तकार" से किसी उपनिवेश में भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और उसके पूर्वाधिकारी तथा हित उत्तराधिकारी तथा हस्तांतरिती सम्मिलित है।

टिप्पणी

"कलक्टर" –

अधिनियम की धारा 2(1) में दी गई परिभाषा के अनुसार, कलक्टर से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और उसमें इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के समस्त कृत्यों या उनमें से किसी भी कृत्य का पालन करने और उसकी समस्त शक्तियों या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी सम्मिलित है।

"इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन कलक्टर ऐसे कृत्यों का पालन करने और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने" से कलक्टर के सभी कृत्यों का पालन करना और सभी शक्तियों का प्रयोग करना अभिप्रेत नहीं हैं। *राजस्थान राज्य बनाम किशन सिंह,* AIR 1992 SC 1946

निदेशक उपनिवेशन, चम्बल परियोजना, कोटा को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ कलक्टर नियुक्त किया गया, अभिनिर्धारित किया गया कि उस द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता का नहीं है। *बादशाह राम बनाम राजस्थान राज्य,* 1974 WLN (UC) 236.

उपनिवेश नायब-तहसीलदार द्वारा भूमि की नीलामी – अभिनिर्धारित किया गया कि वह आवंटन प्राधिकारी नहीं है, अतः नीलामी बिना प्राधिकार के है। *गणेश बनाम राजस्थान राज्य,* 1975 WLN (UC) 171.

राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 30 मई, 1978 द्वारा सभी उपनिवेशन तहसीलदारों को अधिनियम की धारा 20 के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने तथा शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त किया – अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई – अभिनिर्धारित किया गया कि अधिसूचना वैध व विधिक है। *राजस्थान राज्य बनाम किशन सिंह,* AIR 1992 SC 1946.

"उपनिवेश" –

उपनिवेश से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है, जिस पर राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार के किसी आदेश से इस अधिनियम को लागू किया जाए।

जहां अधिनियम की धारा 2(ii) के अधीन उपनिवेश के रूप में घोषित क्षेत्र में सम्बन्धित गांव सम्मिलित नहीं किया गया था – अभिनिर्धारित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी आदेश पारित करने में सक्षम नहीं था। *प्रेम सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1990 (1) RLW 131.

"व्यक्तिगत रूप से जोती गई भूमि" –

अधिनियम कि धारा 2(vi) के अनुसार "व्यक्तिगत रूप से जोती गई भूमि" में कुटुम्ब के किसी सदस्य के श्रम के द्वारा की गई जोत भी सम्मिलित है, अतः भाई के द्वारा की गई जोत भी इस भाव में सम्मिलित है। *नरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य,* 1989 RRD 13.

3. अधिनियम का लागू होना – यह अधिनियम किसी उपनिवेश में समस्त भूमियों पर लागू होगा।

टिप्पणी

एक बार कोई क्षेत्र उपनिवेश घोषित हो जाता है, तो फिर इस अधिनियम के प्रावधान सभी भूधारकों पर इस तथ्य को विचार में लाये बिना लागू होंगे कि उन्होंने भूमि अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व या बाद में अर्जित की है। *धोकलराम बनाम राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर,* 1986(1) WLN 40.

जहां एक क्षेत्र विशेष को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपनिवेश घोषित कर दिया गया था – अभिनिर्धारित किया गया कि कलक्टर मार्ग स्थापित करने के लिए सक्षम था तथा उसका कार्य अनाधिकृत नहीं था। *धोकलराम बनाम राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर,* 1986(1) WLN 40.

4. किसी उपनिवेश को अधिनियम के प्रवर्तन से प्रत्याहृत करने की शक्ति – राज्य सरकार किसी भी समय, [1][राज-पत्र] में अधिसूचना द्वारा, किसी उपनिवेश या किसी उपनिवेश के किसी भाग को इस अधिनियम के समस्त उपबंधों या उनमें से किसी के भी प्रवर्तन से प्रत्याहृत कर सकेगी।

[2][राज्य सरकार किसी कलक्टर को भी उस जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर-भीतर सम्पूर्ण उपनिवेश क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए किसी लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।]

5. काश्तकारी और भू-राजस्व विधियों का लागू होना – (1) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, इसके सिवाय, किसी उपनिवेश में तत्समय प्रवृत काश्तकारी, भूमि, राजस्व न्यायालयों की शक्तियों, कर्त्तव्यों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया, सर्वेक्षण तथा अभिलेख संक्रियाओं, बन्दोबस्त और राजस्व, लगान तथा अन्य मांगों की वसूली और सम्पदाओं तथा काश्तकारी के विभाजन से संबंधित विधियां; जहां तक लागू हो सके, इस अधिनियम के अधीन धारित काश्तकारी और की गई कार्यवाहियों पर भी लागू होंगी।

(2) तथापि, ऐसी विधियों की किसी भी बात का ऐसा अर्थ नहीं लगाया जायगा, जो इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम या शर्तो के जारी किये गये किसी विवरण में दर्ज किसी शर्त को परिवर्तित अथवा अविधिमान्य करे।

टिप्पणी

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का लागू होना –

अपीलों के सम्बन्ध में – अधिनियम में अपील सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन धारा 5 के द्वारा काश्तकारी एवं भू-राजस्व सम्बन्धित विधियां इस अधिनियम के अधीन धारित काश्तकारी और की गई कार्यवाहियों पर लागू कर दी गई हैं, परिणामतः सहायक आयुक्त और उपायुक्त, उपनिवेशन के आदेश के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम कि धारा 75 के अनुसार आयुक्त उपनिवेशन के यहां अपील होगी, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी के रूप में भी पदाभिषित किया गया है। इसी प्रकार आयुक्त उपनिवेशन के आदेश के विरूद्ध धारा 76 भू-राजस्व अधिनियम के अधीन द्वितीय अपील राजस्व मण्डल को होगी। ***रामरिख बनाम सहायराम,*** 1980 RRD 449.

पुनरीक्षण के सम्बन्ध में – चूकिं अधिनियम पुनरीक्षण के द्वारा उपचार के सम्बन्ध में मौन है, अतः धारा 5 का आवश्यक परिणाम यह है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 84 के अधीन पुनरीक्षण पोषणीय है, किन्तु व्यथित पक्षकार को प्रथम अपील के द्वारा उपलब्ध उपचार का लाभ उठाना चाहिए और केवल तभी वह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा सीधे पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं होगी। ***राज्य बनाम मोती सिंह,*** 1981 RRD 530 ***गोविन्द राम बनाम राजस्थान राज्य,*** 1973 RRD 523.

पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में – अधिनियम में पुनर्विलोकन के सम्बन्ध में भी उपबन्ध नही है, इसलिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86 के प्रावधान, जिसमें पुनर्विलोकन सम्बन्धी उपबन्ध हैं, इस अधिनियम के अधीन की कार्यवाहीयों पर लागू होंगे। ***गुरदेव सिंह बनाम राजस्थान राज्य,*** 1992 RRD 393.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का लागू होना –

इस धारा के प्रभाव से काश्तकारी सम्बन्धित सभी विधियाँ इस अधिनियम के अधीन

---

1. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1991 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 द्वारा अन्तःस्थापित।

धारित काश्तकारी और की गई कार्यवाहियों पर लागू होती हैं। *राज्य बनाम लूनकरण,* 1965 RRD 316.

6. उपनिवेश अधिकारियों को राजस्व न्यायालयों की शक्तियों का प्रदान किया जाना – किसी उपनिवेश में उद्भूत होने वाले समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के [1][आवेदन-पत्रों,] वादों या अपीलों के विचारण तथा सुनवाई के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार, [2][राज-पत्र] में आदेश के प्रकाशन द्वारा, उपनिवेश के उपनिवेशन के लिये नियुक्त किसी अधिकारी को राजस्व बोर्ड की शक्ति के अलावा, किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी की समस्त शक्तियां या कोई भी शक्ति, प्रदान कर सकेगा।

टिप्पणी

इस धारा के अधिन जहॉं राज्य सरकार ने किसी उपनिवेश के उपनिवेशन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी को, उपनिवेश में उद्भूत होने वाले किसी विनिर्दिष्ट वर्ग के आवेदन पत्रो, वादों या अपीलों के विचारण तथा सुनवाई के प्रयोजनार्थ किसी राजस्व न्यायालय या अधिकारी की समस्त शक्तियॉं प्रदान कर दी गई हों तब वह राजस्व न्यायालय या अधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करने से वंचित रहेगा। ***दिवान सिंह बनाम करतार सिंह,*** 1983 RRD 612.

7. काश्तकारी की शर्तो का विवरण जारी करना – (1) राज्य सरकार किसी उपनिवेश में, किसी भी व्यक्ति को, ऐसी शर्तो पर भूमि प्रदान कर सकेगी जो विहित की जायें।

(2) राज्य सरकार ऐसी शर्तों का विवरण या शर्तों के विवरण, जिन पर वह किसी उपनिवेश में [3][किसी व्यक्ति को] भूमि प्रदान करना चाहती है; जारी कर सकेगी।

(3) जहां शर्तों के ऐसे विवरण जारी किये गये हैं, वहां कलक्टर, राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी भी व्यक्ति को भूमि का आवंटन कर सकेगा, और यह भूमि इस आधार की उप-धारा (2) के अधीन जारी किये गये विवरण में दी गई ऐसी शर्तों के अधीन धारण की जायेगी, जो कलक्टर, लिखित आदेश द्वारा, उक्त मामले में लागू घोषित करे।

(4) किसी व्यक्ति को तब तक उसे आवंटित भूमि में कोई भी अधिकार या हक रखने वाला या काश्तकार नहीं माना जायेगा, जब तक कि ऐसा लिखित आदेश नहीं दिया जाये और वह कलक्टर की अनुज्ञा से भूमि का कब्जा नहीं ले ले और इस प्रकार कब्जा ले लेने के पश्चात् दी गई भूमि, उस पर लागू घोषित की गई शर्तों के अध्यधीन धारण की जायेगी [4][:]

[5][परन्तु यह कि जहां किसी आवंटी की ऐसे लिखित आदेश के पारित होने के पश्चात् किन्तु आवंटित भूमि का कब्जा लेने से पूर्व मृत्यु हो जाये, तो उसके पति/पत्नी या यदि उसके पति/पत्नी जीवित नहीं हो, तो उसके विधिक उत्तराधिकारी आवंटित भूमि का कब्जा ले सकेंगे।]

टिप्पणी

अधिनियम की धारा 7 एवं 28 को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इन धाराओं के अधीन राज्य विधान मण्डल की शक्ति का परित्याग है और राज्य सरकार को नियम बनाने की अनियंत्रित शक्ति प्रदान की गई है – अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा शर्तों का जारी किया गया प्रत्येक विवरण या जारी की गई अधिसूचना राज्य विधान मण्डल

---

1. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1983 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. 1983 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा जोड़ा गया।

के सदन के समक्ष, उसके ठीक बाद के सत्र में रखे जायेंगे और उस सदन के संकल्प द्वारा विखंडित या उपांतरित किये जा सकेंगे और इस प्रकार किया गया विखंडन या उपान्तरण, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रकाशन के पश्चात् प्रवृत हुआ समझा जायेगा। अधिनियम की धारा 29 के इन प्रावधानों को दृष्टि में रखते हुये राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों पर पर्याप्त जांच एवं नियन्त्रण रखा गया है। अतः न तो राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का परित्याग है और न ही राज्य सरकार को नियम बनाने की अनियंत्रित शक्तियां प्रदान की गई है। *कुमारी जानी रानी बनाम राजस्थान राज्य,* 1988(2) RLW 629 : 1989 (1) RLR 139.

धारा 7(4) – प्रार्थिया के पति को भूमि आवंटित की लेकिन कब्जा नहीं दिया – आवंटी की 1.9.1997 को मृत्यु हुई – 10 वर्ष बाद आवंटन निरस्त किया – संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है – आदेश अपास्त किये व प्रार्थिया को कब्जा सौंपने का आदेश दिया। ***Prabhati Devi (Smt.) & Ors. Vs. State of Rajasthan,*** 2009 RRD 730 : 2009(2) RRT 1277

8. शर्तों का विधिक प्रभाव – (1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का अधिनियम सं. 4) में दी गई कोई भी बात, धारा 7 के अधीन किसी भी काश्तकारी के दिये जाने पर या उसके अधीन लगाई गई किसी भी शर्त या शर्तों के जारी किये गये किसी भी विवरण पर लागू नहीं होगी।

(2) किसी भी नियम या विधि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी वे समस्त शर्तें, जिनके अधीन या अध्यधीन धारा 7 के अधीन काश्तकारी प्रदान की जाती है, उनके आशय के अनुसार विधिमान्य तथा प्रभावी होंगी।

[1][**9. खेतों का आयतीकरण तथा भूमि विकास कार्यों का निष्पादन एवं संधारण** – (1) कलक्टर समस्त आवंटियों अथवा काश्तकारों अथवा उनके किसी वर्ग को अपने खेतों को आयताकार बनाने का निदेश दे सकेगा।

(2) भूमि विकास कार्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ, सिंचाई जल का अनुकूलतम उपयोग करने तथा/अथवा भूमि को नुकसान से बचाने के लिये कलक्टर –

(i) उक्त आवंटियों तथा काश्तकारों को अपनी स्वयं की लागत पर तथा परियोजना अधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं विनिर्देशों के अनुसार भूमि समतलन कार्य करने, खेतों को आयताकार मेढ युक्त ऐसी पटिट्यों में, जो प्रत्येक जल सरणियों तथा नालियों से जुड़ी हुई हों, विभाजन द्वारा खेत की नई आकृति प्रदान करने, जल सरणियों तथा नालियों का उत्खनन करने, जल सरणियों का अन्तःस्तरण करने, मृदा उपचार तथा भूमि को कृषि योग्य बनाने का निदेश दे सकेगा। ऐसे किसी निदेश का अनुपालन इस अधिनियम द्वारा अधिरोपित शर्तों का भंग समझा जायगा;

(ii) आवंटियों या काश्तकारों के किसी वर्ग से सम्बन्धित भूमि का तीन माह से अधिक कालावधि के लिये अस्थायी कब्जा लेने का निदेश दे सकेगा तथा सम्बन्धित काश्तकार या आवंटिती उक्त भूमि का अभ्यर्पण करने के लिये आबद्ध होगा और अधियोग की तीन माह तक बढ़ाई गई कालावधि के लिये किसी प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। तीन माह के भीतर विकास कार्य के पूर्ण न होने की दशा में, कलक्टर इस कालावधि को विधिमान्य कारणों से एक माह के लिये और बढ़ा सकेगा। सम्बन्धित काश्तकार या

---

1. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 द्वारा प्रतिस्थापित।

आवंटिती तीन माह के उपरान्त बढ़ने वाली कालावधि के लिये ऐसे प्रतिकर का हकदार होगा, जो कलक्टर द्वारा अवधारित किया जायेगा;

(iii) खंड (ii) के अधीन कब्जा लेने की कार्यवाहियां करने से पूर्व सम्बन्धित काश्तकार या आवंटिती पर विहित रीति से ग्रहण की जाने वाली भूमि विनिर्दिष्ट करते हुए तथा उसे निश्चित तारीख को उसका कब्जा सौंपने की अपेक्षा करते हुए या उपसंजात होने तथा यह हेतुक दर्शित करने कि भूमि विकास कार्य को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ प्रश्नगत भूमि का कब्जा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, नोटिस तामील करवा सकेगा;

जहां सम्बन्धित काश्तकार या आवंटिती –

(क) कब्जा नहीं सौंपता है और न यथा उपर्युक्त जारी किये गये नोटिस के उत्तर में उपसंजात होता है; या

(ख) कोई हेतुक दर्शित नहीं करता है; या

(ग) कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, जिस पर विचार करने और यदि इसकी वांछा की गई हो, तो उसको व्यक्तिगत सुनवाई करने के पश्चात् उसे नामन्जूर कर दिया गया हो;

तो कलक्टर किसी भी रीति से, जैसा वह उचित समझे, कब्जा लेने की कार्यवाही कर सकेगा।

(iv) आवंटितियों या काश्तकारों के किसी वर्ग को अपनी भूमि को शांतिपूर्वक यथाशक्य निकटतम किसी अन्यत्र स्थित ऐसी भूमि जो अभ्यर्पित भूमि के सममूल्य हो, ऐसा मूल्य कलक्टर द्वारा अवधारित किया जायेगा, से विनिमय करने तथा उन्हीं निबन्धनों तथा शर्तों पर इसे धारण करने का निर्देश दे सकेगा, उक्त निबन्धन एवं शर्तें उसी रीति से लागू होंगी मानो विनिमय में ली गई भूमि मूल रूप से धारित भूमि थी।

(3) भूमि का विधिमान्य पट्टे या विलेख के अधीन उप-काश्तकार या बन्धकदार, यथास्थिति, के कब्जे में होने की दशा में काश्तकार कलक्टर को सूचना देगा तथा उप-धारा (1) एवं (2) के उपबन्ध ऐसे उप-काश्तकार या बन्धकदार पर लागू होंगे, मानो वह काश्तकार था किन्तु समस्त मामलों में ऐसे विकास कार्यों की लागत के संदाय के लिये अन्तिम दायित्व काश्तकार पर होगा। ऐसा उप-काश्तकार या बन्धकदार उपर्युक्त उप-धारा (2) के खंड (ii) के अधीन भूमि के कब्जे के लिये काश्तकार को संदेय प्रतिकार, यदि कोई हो, के लिये हकदार होगा :

परन्तु इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार द्वारा विरचित के अनुसार भूमि विकास कार्यों के पश्चात् भूमि से बढ़ी हुई आय के लिये, ऐसा उप-काश्तकार पट्टे की अवशेष कालावधि के लिये आनुपातिक ऊंचे लगानों के संदाय का दायी होगा या, यथास्थिति, ऐसा बन्धकदार ऋण राशि के पुनः संदाय के निर्धारण के समय लेखा-जोखा देने का दायी होगा।

(4) यदि कोई आवंटिती या काश्तकार उपर्युक्त उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के खंड (i) या (iv) के अधीन एक माह की कालावधि के भीतर कलक्टर के किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, तो कलक्टर को उक्त कार्य विभाग द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी एजेन्सी की मार्फत निष्पादित करवाने और भू-राजस्व के

बकाया के रूप में उसकी लागत को वसूल करने का अधिकार होगा तथा भूमि का अस्थायी पुनर्ग्रहण अभ्यर्पण या विनिमय, यथास्थिति, प्रवर्तित करने का भी अधिकार होगा।

(5) ऊपर उल्लेखित भूमि विकास, प्रवर्तित करने का कार्यक्रम के अनुसरण में इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत सरकार के समस्त अधिकारियों तथा सेवकों को भूमि या उस पर के किसी भवन पर सभी समयों पर प्रवेश करने तथा उक्त कार्यों के निष्पादन को प्रवर्तित करने या यह अभिनिश्चित करने कि वे सम्यक् रूप से कार्यान्वित किये गये हैं, के लिये आवश्यक या उससे आनुषांगिक समस्त कृत्यों तथा बातों को करने का अधिकार होगा:

परन्तु किसी रिहायशी प्लाट में, अलावा युक्तियुक्त समय तथा चौबीस घंटे से अन्यून के नोटिस के पश्चात् इस प्रकार प्रवेश नहीं किया जायेगा।

10. गांव की सामान्य आवश्यकताओं के लिए क्षेत्र का आरक्षण – कलक्टर, किसी विनिदिष्ट परिक्षेत्र में, ऐसा क्षेत्र, जो वह आबादी, चारागाह, सड़कों और गांव की अन्य सामान्य आवश्यकताओं के लिए आवश्यक समझे आरक्षित कर सकेगा, और [1][राज-पत्र] में अधिसूचित होने पर ऐसा आरक्षण, राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 में परिभाषित "सार्वजनिक प्रयोजन" के लिये समझा जायगा।

11. काश्तकार द्वारा गलत सूचना देना – यदि किसी व्यक्ति ने, जिसे, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् किसी उपनिवेश में काश्तकार के रूप में भूमि का कब्जा दे दिया गया है, इस आशय से या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए गलत सूचना दी है, कि राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी काश्तकार बनने का उसकी अर्हताओं के संबंध में इससे धोखा खा जाये, तो उसके संबंध में यह समझा जायगा कि उसने अपनी काश्तकारी की शर्तों को भंग किया है।

टिप्पणी

आवंटन हेतु मिथ्या सूचना दी गई – आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। *रोशनलाल बनाम राजस्थान राज्य,* 1992 RRD 351.

जहां कोई कृत्य या त्रुटि आवंटन की योग्यता को प्रभावित नही करते – आवंटन का निरस्तीकरण स्वतः परिणाम नहीं। *मक्खन सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1994 (1) WLN 423.

12. विनिमय – किसी भी ऐसे आदेश के अध्यधीन, जो [2][राज्य सरकार] से प्राप्त हो, कलक्टर, उपनिवेश में अन्य भूमि के बदले में, किसी भी काश्तकार को उसकी सम्पूर्ण काश्तकारी या उसके किसी भाग के, विनिमय को अनुमति दे सकेगा और इस प्रकार विनिमय में ली गई भूमि, किसी विशेष प्रतिकूल शर्त के अभाव में, जो कलक्टर द्वारा अभिलिखित की जायेगी, उन्हीं शर्तों पर तथा उन्हीं बाध्यताओं के अध्यधीन धारित समझी जायेगी, जिन पर इस प्रकार विनिमय में दी गई भूमि धारित थी।

टिप्पणी

धारा 12 के अधीन विनिमय की अनुमति दी गई – उपनिवेशन आयुक्त द्वारा उसका निरस्तीकरण – अभिनिर्णित किया गया कि निरस्तीकरण बिना अधिकारिता के था। *रमजान बनाम राजस्थान राज्य,* 1982 RRD 203.

---

1. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1962 के राजस्थान अधिनियम सं. 08 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][13. अधिकारों का हस्तान्तरण – [2][(1) कोई काश्तकार राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसी लिखित पूर्व सम्मति के बिना, जो ऐसी शर्तों की पूर्ति होने पर दी जायेगी, जो विहित की जायें, विक्रय, बन्धक, विनिमय या दान द्वारा भूमि में अपने अधिकार या हित का अन्तरण नहीं करेगा और न धारा 12 के अधीन के विनिमय के रूप में के, या राज्य सरकार या किसी बैंक से वित्तीय सहायता अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए इनमें से किसी के भी प्रति बन्धक या भार के रूप में के सिवाय, उस पर कोई भार सृजित करेगा या पांच से अधिक वर्षों के लिए उसे उप-पट्टाकृत करेगा :

[3][परन्तु राज्य सरकार किसी क्षेत्र या कास्तकारों के किसी वर्ग को उप-धारा (1) के प्रभाव से अपवर्जित कर सकती है।]

(2) उप-धारा (1) के उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण या उप-पट्टा या सृजित कोई भार शून्य होगा और यदि अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भारधारक ने अन्तरित, उप-पट्टाकृत या, यथास्थिति, भारित भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा अभिप्राप्त कर लिया है, तो वह, उसे तथा अन्तरणकर्ता को सुनवाई का अवसर दे दिये जाने के पश्चात् कलक्टर के आदेशों के अधीन, उससे बेदखल किये जाने का भागी होगा और ऐसी भूमि कलक्टर द्वारा राज्य सरकार के प्रति पुनर्ग्रहीत कर ली जायेगी।

स्पष्टीकरण – इस धारा की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए –

(क) अभिव्यक्ति "बैंक" का वही अर्थ होगा, जो राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम 22) की धारा 2 के खण्ड (ख) के द्वारा इसे समनुदेशित है और इसमें राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965 का राजस्थान अनिनियम 13) की धारा 84 में विनिर्दिष्ट भूमि विकास बैंक तथा ऐसा अन्य बैंक या वित्तीय संस्था सम्मिलित है, जिसे राज्य सरकार, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रयोजन के लिए बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट करे; तथा

(ख) अभिव्यक्ति "वित्तीय सहायता" का वही अर्थ होगा, जो राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) अधिनियम, 1974 (1974 का राजस्थान अधिनियम 22) की धारा 2 के खण्ड (च) में इसे समनुदेशित है।

टिप्पणी

धारा की संवैधानिकता –

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम संविधान की नवमी अनुसूची में दर्ज है – इसके किसी भी प्रावधान को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के अतिक्रमण की कसौटी पर चुनौती नहीं दी जा सकती। *दारा सिंह व अन्य बनाम मेहर सिंह व अन्य,* 2002 (1) DNJ (Raj.) 188 : 2002(2) RLR 243: 2002(2) WLN 186 : RLW 2002(4) Raj. 2162.

कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना उपनिवेश क्षेत्र में काश्तकारी अधिकारों का हस्तान्तरण – धारा 13 मृत्यु विलेख द्वारा व्ययन सहित किसी भी तरीके से काश्तकारी अधिकारों के

---

1. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1984 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1989 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

हस्तान्तरण को निषेध करती है – अभिनिर्धारित किया गया कि सिवाय कलक्टर की पूर्व अनुमति के उपनिवेश क्षेत्र में कृषि भूमि के अधिकारों का वसीयत द्वारा हस्तान्तरण अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत अनुज्ञात नहीं है – वसीयतदारों के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश द्वारा वसीयत को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। *दारा सिंह व अन्य बनाम मेहर सिंह व अन्य,* 2002 (1) **DNJ (Raj.) 188** : 2002(2) RLR 243: 2002(2) WLN 186 : RLW 2002(4) Raj. 2162. *दान सिंह बनाम राजस्व मण्डल,* 1988 (2) WLN (Rev) 40 में एकल न्यायाधीश के पूर्व मत की पुष्टि की गई।

आवंटी द्वारा कलक्टर की पूर्व अनुमति के बिना भूमि का विक्रय किया गया – अभिनिर्धारित किया गया कि हस्तान्तरण धारा 13 के उल्लंघन में होने से शून्य है और हस्तान्तरिती बेदखली के लिए दायी है। *जरनेल सिंह बनाम पूनम सिंह,* 1974 RRD 361.

धारा 13, 13ए – राजस्व अपील प्राधिकारी ने धारा 13 की अपालना के कारण आदेश अपास्त किया – धारा 13 व 13ए के अन्तर्गत पारित आदेश अपील योग्य नहीं है तथा बोर्ड के समक्ष निगरानी होती है – राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश बिना अधिकारिता के था – वसीयतएवं राजीनामा के आधार पर आवंटित भूमि पर स्वत्व की मांग नहीं की जा सकती – निर्णित, आलोच्य आदेश अवैध है व अपास्त किया। ***State of Rajasthan Vs. Mukhtiyar Singh & Ors.,*** 2010 RRD 1 : 2010 RBJ 192 : 2010(1) RRT 234 : 2010(1) RLW (Rev.) RJ 147

[1][**13-क. कतिपय अन्तरणों का विधिमान्यकरण और अन्तरण के लिए सम्मति की घोषणा** – (1) धारा 13 या इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबंधों में या इसके अधीन बनाये गयें नियमों या जारी किये गये शर्तों के विवरण में किसी बात के होने पर भी, किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 3) की धारा 42 के अध्यधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे काश्तकार के (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से पूर्व किसी भी समय, धारा 13 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में कोई अन्तरण या उप-पट्टा किया गया है या भार सृजित किया गया है, वहां ऐसा अन्तरण, उप-पट्टा या भार, कलक्टर के द्वारा, उसे [2][प्रारम्भ से 1425 दिन के भीतर अर्थात् 30.06.1987 तक] अन्तरणकर्ता, पटटाकर्ता या, यथास्थिति, भार सृजित करने वाले व्यक्ति द्वारा या तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भारधारक द्वारा या किसी भी पश्चात्वर्ती तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भारधारक द्वारा इस निमित ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, आवेदन के किए जाने पर, तथा उसके द्वारा ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे, किसी भी पूर्वोक्ति व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को, सिंचित भूमि के मामले में प्रत्येक 25 बीघे के लिए 20,000/– रूपये की रकम का तथा बारानी या अनकमाण्ड भूमि के मामले में प्रत्येक 25 बीघे के लिए 4,000/– रूपये की रकम का या धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन जारी किये गये शर्तों के विवरण में या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी भी नियम में राज्य सरकार द्वारा विहित और ऐसे प्रारम्भ के समय प्रवृत भूमि के आवंटन मूल्य के बराबर रकम का, जो भी कम हो, [3][शमन फीस के रूप में] संदाय निम्नलिखित रूप से चार समान किश्तों में कर दिये जाने के अध्यधीन रहते हुए, विधिमान्य घोषित किया जा सकेगा :–

---

1. प्रथमतः 1983 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा अन्तःस्थापित एवं तत्पश्चात् 1984 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 02 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 02 द्वारा अन्तःस्थापित।

(क)	31.12.1984 तक किये गये किसी आवेदन के मामले	पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किश्तें क्रमशः 31.12.1984, 30.06.1985, 31.12.1985 और 30.06.1986 को संदेय होंगी;
(ख)	31.12.1984 के पश्चात् किन्तु राजस्थान उपनिवेशन(संशोधन) अध्यादेश, 1986 के राज-पत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात् 31.12.1987 के पूर्व किये गये किसी आवेदन के मामले में	पहली किश्त ऐसे प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर संदेय होगी और दूसरी, तीसरी तथा चौथी किश्तें कलक्टर के आदेश की तारीख से क्रमशः पन्द्रह दिन, छह मास और एक वर्ष के भीतर संदेय होंगी; और
(ग)	ऐसे प्रकाशन की तारीख को और उसके पश्चात् किये गये किसी आवेदन के मामले में	पहली किश्त आवेदन के साथ ही संदेय होगी और दूसरी, तीसरी तथा चौथी किश्तें खण्ड (ख) में ऐसी किश्तों के लिए विनिर्दिष्ट कालावधियों के भीतर संदेय होगी :

परन्तु राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा कालावधि की 30 जून, 1987 के बाद [1][पांच वर्ष और छह मास] से अनधिक उस तारीख तक, जैसी वह उचित समझे, बढा सकेगी :

[2][परन्तु यह और कि जहां] कोई भी पूर्वोक्त व्यक्ति, अपने आवेदन-पत्र के साथ, सम्पूर्ण शमन फीस का संदाय राज्य सरकार को एक मुश्त तथा इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कर देता है, वहां उसके द्वारा संदेय शगन फीस, उसमें जितनी उपबंधित है, उससे 25 प्रतिशत कम समझी जायेगी।

[3][परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है, अधिसूचना द्वारा कालावधि को 31 दिसम्बर, 1992 के पश्चात् उस दिन तक, जो वह उचित समझे, बढा सकेगी :

परन्तु यह भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन बढ़ायी गयी कालावधि के दौरान प्राप्त हुए आवेदनों पर अन्तरण, उप-पट्टा या भार केवल इस शर्त पर विधिमान्य घोषित किया जायेगा कि आवेदक इस उप-धारा के अधीन संदेय शगन फीस के अतिरिक्त, 1 जनवरी, 1993 से आवेदन की तारीख तक की कालावधि के लिए शमन फीस की रकम पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देने का दायी होगा।]

[4][(1-क) जहां किसी ऐसे आवंटिती ने, जिसमें सामान्य उपनिवेशन शर्तों की शर्त 9 के अधीन, आवंटन के सात वर्षों के पश्चात् भी खातेदारी अधिकार निहित नहीं हुए हैं, उसे

1. 1992 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 02 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1995 के राजस्थान अधिनियम सं. 28 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. 1989 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा अन्तःस्थापित।

आवंटित भूमि या उसमें के किसी अधिकार को राजस्थान उपनिवेशन अध्यादेश, 1988 (1988 का अध्यादेश संख्या 9) के प्रारम्भ के पूर्व अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (1) के उल्लघंन में अन्तरित कर दिया हो, वहां कलक्टर राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (1988 का आदेश सं. 9) के प्रारम्भ से 297 दिन के भीतर या ऐसी कालावधि, जो सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जाये, के भीतर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) की धारा 42 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए आवंटिती और तात्पर्यित अन्तरिती से इस निमित्त, विहित प्ररूप में, आवेदन के प्राप्त हाने पर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, अन्तरिती द्वारा राज्य सरकार के समस्त देयों का संदाय किये जाने के अध्यधीन रहते हुए और राज्य सरकार को सिंचित या कमाण्ड भूमि के मामले में प्रति 25 बीघा 50,000/– रूपये की रकम का तथा बारानी या अनकमाण्ड भूमि के मामले में प्रति 25 बीघा 10,000/– रूपये का चार अर्द्धवार्षिक समान किश्तों में संदाय किये जाने के भी अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अन्तरण को विधिमान्य घोषित कर सकेगा। तत्पश्चात् ऐसा अन्तरिती राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 3) के अधीन खातेदारी अधिकारों का हकदार होगा :

परन्तु जहां पूर्वोवत में से कोई भी व्यक्ति अपने आवेदन के साथ और इस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर राज्य सरकार को सम्पूर्ण शमन फीस का एक मुक्त राशि में संदाय कर लेता है, वहां उसके द्वारा संदेय शमन फीस की रकम को, उसमें उपबंधित से 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण – इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, –

(क) ''आवंटिती'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भूमि इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन कीमत पर आवंटित की गयी है; और

(ख) आवंटित भूमि के संबंध में ''देय'' के अन्तर्गत ऐसी भूमि की असंदत्त कीमत और आवंटिती द्वारा संदत्त किये जाने के लिए विधि के अधीन अपेक्षित अन्य देय आयेगी।

(2) जहां किसी ऐसे काश्तकार के द्वारा, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन खातेदारी अधिकार निहित हुए हैं, धारा 13 की उप-धारा (1) के उल्लंघन में कोई अन्तरण, उप-पट्टा या भारण कर दिये जाने के कारण कलक्टर ने उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन, तात्पर्यित अन्तरिती, उप-धारा या, यथास्थिति, भार-धारक या किसी भी पश्चात्वर्ती तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या, यथास्थिति, भार-धारक की बेदखली के आदेश पारित कर दिये हों या धारा 14 के खण्ड (2) के अधीन ऐसे काश्तकार की काश्तकारी के पुनर्ग्रहण के आदेश पारित कर दिये हों परन्तु कोई भी यथापूर्वोक्त व्यक्ति या काश्तकार की काश्तकारी अन्तरित, उप-पट्टाकृत या, यथास्थिति, भारित भूमि पर से राजस्थान उप-निवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से पूर्व वस्तुतः बेदख नही किया गया हो तथा काश्तकारी वस्तुतः पुनर्ग्रहीत नही की गई हो, वहां यथापूर्वोक्त काश्तकार या कोई भी व्यक्ति, [1][ऐसे प्रारम्भ से 1425 दिन के भीतर अर्थात् 30.06.1987 तक या उप-धारा (1) के

1. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 02 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रथम परन्तुक के अधीन राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी गयी कालावधि के भीतर] किसी भी समय कलक्टर को, ऐसे काश्तकार द्वारा किये जाने के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसी घोषणा के कर दिये जाने के उपरान्त कोई भी पूर्वोक्त व्यक्ति बेदखल किये जाने का भागी होगा तथा कलक्टर द्वारा पारित किया गया बेदखली या यथास्थिति, काश्तकारी के पुनर्ग्रहण का आदेश प्रत्याहृत समझा जायेगा।

(3) किसी न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, निदेश या अनुज्ञा के होने पर भी ऐसे समस्त मामले, जिनमें किसी ऐसे काश्तकार के द्वारा, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन खातेदारी अधिकार निहित हुए हैं, ऐसे अधिकारों को अन्तरित या उप-पट्टाकृत करने या, यथास्थिति, उन्हें भारित करने के लिए कलक्टर की लिखित पूर्व सम्मति धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन अभिप्राप्त नहीं की गई थी परन्तु ऐसे अन्तरण, उप-पट्टाकरण या यथास्थिति, भारण के लिए, यथापूर्वोक्त पश्चात्वर्ती सम्मति उसके द्वारा कलक्टर से या किसी भी न्यायालय, अधिकारी या प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई थी या जिनमें, इनमें से किसी के भी द्वारा ऐसे संव्यवहारों के लिए धारा 14 का खण्ड (i) राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से पूर्व लागू किया गया था, कलक्टर द्वारा पुनः खोले जायेंगे तथा उसके द्वारा, अन्तकरणकर्ता, पट्टाकर्ता या यथास्थिति, भार सृजित करने वाले व्यक्ति, तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भार-धारक तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भार-धारक को नोटिस देने के पश्चात्, इस धारा के अनुसार नये सिरे से निर्णीत किये जायेंगे।

(4) जहां इस धारा के अनुसार शमन फीस संदत्त कर दी गई हो, वहां तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भार-धारक के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही की जायेगी या यह आगे नहीं बढ़ाई जायेगी तथा जिस काश्तकार में इस अधिनियम के द्वारा या अधीन खातेदारी अधिकार निहित हुए हैं उस पर, उसी की उप-धारा (2) के अधीन, या यथास्थिति, धारा 14 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नही की जायेगी, न उसकी काश्तकारी पुनर्ग्रहीत की जायेगी।

(5) जहां उप-धारा (1) में उल्लेखित किसी काश्तकार ने या उसकी तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भार-धारक ने या किसी भी पश्चातवर्ती तात्पर्यित अन्तरिती, उप-पट्टाधारी या यथास्थिति, भार-धारक ने उस उप-धारा के अधीन या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन इस धारा के अधीन की शमन फीस की रकम का संदाय राज्य सरकार को करने के पश्चात् कोई घोषणा पहले ही अभिप्राप्त कर ली हो वहां संदत्त शमन फीस की ऐसी रकम, जो कि उप-धारा (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट ऐसी फीस की रकम से अधिक हो, ऐसे काश्तकार को या यथास्थिति, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने संदाय किया है, लौटा दी जायेगी।

(6) जहां, –

(क) किसी भी ऐसे काश्तकार ने, जिसमें इस अधिनियम के द्वारा या अधीन भूमि में के खातेदारी अधिकार निहित हुए हैं, ऐसे अधिकारों को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने के लिए, राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से पूर्व कोई ऐसी संविदा, या

(ख) किसी भी ऐसे काश्तकार ने जिसे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व भूमि में के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए हैं, ऐसे अधिकार उसे प्रोदभूत होने के

पूर्व, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसमें निहित अधिकारों को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने के लिए कोई ऐसी संविदा की है, जो लिखित और उसके द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित हो और जिससे, अन्तरण के लिए आवश्यक निबन्धनों का अभिनिश्चयन युक्तियुक्त निश्चितता से किया जा सके,

और अन्तरिती ने ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, संविदा का भागिक पालन करते हुए भूमि या उसके किसी भी भाग पर कब्जा कर लिया है या ऐसे अन्तरितों ने जो पहले से ही काबिज है, संविदा का भागिक पालन करते हुए कब्जा बनाये रखा है तथा संविदा को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया है,

और अन्तरिती ने अन्तरणकर्ता को प्रतिफल का संदाय पूर्णतः या भागतः कर दिया है,

तब अन्तरणकर्ता या उसके अधीन दावा करने करने वाला कोई भी व्यक्ति तथा अन्तरिती या उनमें से कोई भी, प्ररूप में, जो विहित किया जाये, उप-धारा (1) के अधीन कलक्टर को आवेदन करने के लिए निश्चित अन्तिम दिन को या उससे पहले इस घोषणा के लिए आवेदन कर सकेगा कि ऐसे अधिकारों को अन्तरित करने के लिए धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित कलक्टर की सम्मति प्रदत्त समझ ली जाये और यदि कलक्टर, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो ठीक समझी जाये, सन्तुष्ट हो जाता है कि इस धारा में विनिर्दिष्ट शर्ते और ऐसी अन्य शर्ते, जो विहित की जायें, पूरी होती है, तो वह, अन्तरणकर्ता या अन्तरिती द्वारा राज्य सरकार को ऐसी रकम के शमन फीस के रूप में संदत्त कर दिये जाने के अध्यधीन रहते हुऐ, जो उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर तथा रीति से संगणित की गई हो, लिखित आदेश द्वारा यह घोषणा करेगा कि ऐसे अधिकारों के अन्तरण के लिए ऐसी सम्मति अन्तरणकर्ता को या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदत्त समझी जायेगी और ऐसी घोषणा के प्रदत्त हो जाने के उपरान्त अन्तरणकर्ता, इस तथ्य के होते हुए भी उसने धारा 13 की उप-धारा (1) के द्वारा अपेक्षित कलक्टर की सम्मति अभिप्राप्त नही की थी, अन्तरण के लिए संविदाकृत भूमि का विधिमान्यतः अन्तरण करने के लिए सक्षम होगा और अन्तरणकर्ता द्वारा ऐसा करने से इन्कार करने की दशा में या, यदि उसका ठिकाना मालूम न हो तो, अन्तरिती अन्तरणकारी संविदा का, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधो के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रवर्तन कराने के लिये सक्षम होगा।]

टिप्पणी

धारा 13-क – भूमि का विनियमन – प्रार्थी, जिसने एक 'द' को प्रश्नगत भूमि को मूलतः मुख्त्यारनामें के जरिये विक्रय किया वह उस भूमि का प्रत्यर्थियों के पक्ष में नियमन को चुनौती दे रहा है – अपर जिला कलक्टर ने नियमन का आदेश पारित किया, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपास्त किया – राजस्व अपील अपील प्राधिकारी के आदेश को राजस्व बोर्ड के एकल सदस्य ने अपास्त किया – राजस्व बोर्ड के प्रतिप्रेषण के आदेश के पश्चात् दिनांक 12.10.1984 के आवेदन को अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष लम्बित व्यवहृत किया गया तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपर जिला कलक्टर ने दिनांक 08.02.2004 का नियमन का आदेश पारित किया – प्रत्यर्थियों ने अपर कलक्टर के उक्त आदेश के अनुसरण में शमनात्मक शुल्क का भुगतान कर दिया – अभिनिर्णित, प्रत्यर्थी के पक्ष में भूमि का नियमन न्यायोचित था। *श्री सही राम एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल, अजमेर एवं अन्य,* **2008(2) DNJ (Raj.) 1030.**

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 - धारा 13-क एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 - धारा 42 – भूमि के नियमन हेतु आवेदन खारिज किया – भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य

'पी' को आवंटित की, जिसने 7 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व व कलक्टर की अनुमति के बिना भूमि हस्तान्तरित की – भूमि का हस्तान्तरिती गैर-अनुससूचित जाति का व्यक्ति था – 'के' ने भूमि प्रार्थी 'एच' को विक्रय की – अति. कलक्टर ने प्रश्नगत भूमि को पुनर्ग्रहण करने का निर्देश दिया – धारा 42 के प्रावधान का उल्लंघन तथा विक्रय पत्र अप्रवर्तनीय और अनिष्पादनीय था – प्रार्थी कनाडा में निवास कर रहा है और पॉवर ऑफ एटार्नी होल्डर ने 1996 में निगरानी पेश की – नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं – अभिनिर्णित, हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनता है। ***हरजीत सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,*** **2010(1) DNJ (Raj.) 162 [D.B.].**

धारा 13-क – भूमि का विनियमन – प्रार्थी, जिसनेएक 'द' को प्रश्नगत भूमि को मूलतः मुख्त्यारनामे के जरिये विक्रय किया वह उस भूमि का प्रत्यर्थियों के पक्ष में नियमन को चुनौती दे रहा है – अपर जिला कलेक्टर ने नियमन का आदेश पारित किया जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपास्त किया – राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को राजस्व बोर्ड केएकल सदस्य ने अपास्त किया – राजस्व बोर्ड के प्रतिप्रेषण के आदेश के पश्चात् दिनांक 12.10.1984 के आवेदन को अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष लम्बित व्यवहृत किया गया तथा पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपर जिला कलेक्टर ने दिनांक 8.2.2004 का नियमन का आदेश पारित किया – प्रत्यर्थियों ने अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के अनुसरण में शमनात्मक शुल्क का भुगतान कर दिया – निर्णित, प्रत्यर्थी के पक्ष में भूमि का नियमन न्यायोचित था। ***Shri Sahi Ram & Anr. Vs. Board of Revenue, Ajmer & Ors.,*** 2008(2) DNJ (Raj.) 1031

धारा 13-क – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 42 – भूमि के नियमन हेतु आवेदन खारिज किया – भूमि अनुसूचित जाति के सदस्य 'पी' को आवंटित की जिसने 7 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व व कलेक्टर की अनुमति के बिना भूमि हस्तान्तरित की – भूमि का हस्तान्तरिती गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति था – 'के' ने भूमि प्रार्थी 'एच' को विक्रय की – अति. कलेक्टर ने प्रश्नगत भूमि को पुनर्ग्रहण करने का निर्देश दिया – धारा 42 के प्रावधान का उल्लंघन तथा विक्रय पत्र अप्रवर्तनीय और अनिष्पादनीय था – प्रार्थी कनाडा में निवास कर रहा है और पॉवर ऑफएटार्नी होल्डर ने 1996 में निगरानी पेश की – नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन नहीं – निर्णित, हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनता है। ***Harjeet Singh Vs. State of Rajasthan & Anr. [D.B.],*** **2010(1) DNJ (Raj.) 162 :** 2010 WLC (Raj.) UC 190 : 2010(2) CDR 1103 (Raj.) : 2010 RBJ 253 : 2010(1) RRT 483

धारा 13-क – अप्रार्थी नं. 1 ने अप्रार्थी नं. 2 से 4 को कलेक्टर की पूर्वानुमति बगैर भूमि हस्तान्तरित की – पारिवारिक समझौता भी परिवार के सदस्यों में सम्पत्ति हस्तान्तरण की रीति है – निर्णीत, राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश संवहनीय नहीं है व अपास्त किया – सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी भी भूमि हस्तान्तरण हेतु अनुमति देने हेतु सक्षम नहीं है। ***State of Rajasthan Vs. Jagrupsingh & Ors.,*** 2011 RRD 165 : 2011(1) RRT 265

धारा 13-क – कलेक्टर की अनुमति के बिना आवंटी ने भूमि विक्रय की – अप्रार्थी ने शमन फीस जमा नहीं कराई और अति. कलेक्टर ने भूमि रिज्यूम करने का आदेश पारित किया – फीस जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया – निर्णित, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया। ***State of Rajasthan Vs. Mukhram,*** 2010 RRD 356 : 2010(2) RRT 936

14. शर्तों के भंग के लिए शास्ति – जब कलक्टर का समाधान हो जाये कि किसी उपनिवेश में भूमि पर कब्जा रखने वाले किसी काश्तकार ने अपनी काश्तकारी की शर्तों को भंग किया है, तो वह उसे उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का एक अवसर देने के पश्चात् –

(i) काश्तकार पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो [1][दो हजार रूपये से अधिक नही होगी,] या

(ii) काश्तकारी के पुनर्ग्रहण का आदेश दे सकेगा :

---

1. 1983 के राजस्थान अधिनियम सं. 12 द्वारा प्रतिस्थापित।

परन्तु यदि शर्तों के उक्त भंग को ठीक किया जा सकता है, तो कलक्टर, तब तक न तो कोई शास्ति अधिरोपित करेगा, न काश्तकारी के पुनर्ग्रहण का आदेश देगा, जब तक कि उसने, काश्तकार को लिखित सूचना जारी नही कर दी हो, जिसमें उक्त भंग को युक्तियुक्त समय में, जो एक माह से कम नही होगा और जिसका सूचना में उल्लेख किया जायेगा, ठीक करने की अपेक्षा की गई हो और काश्तकार ऐसी सूचना के अनुपालन में असफल रहा हो।

टिप्पणी

धारा 11/14 – शर्तों के उल्लंघन के कारण आवंटन निरस्त किया – प्रक्रिया की अपेक्षायें – काश्तकार को सुनकर कलक्टर दण्ड आरोपित कर सकता है अथवा शर्त के उल्लंघन के परिशोधन का अवसर दे सकता है – यदि काश्तकार शर्त का परिशोधन करने में विफल रहता है, तत्पश्चात् काश्तकारी पुनर्ग्रहण का आदेश दे सकता है – काश्तकार को अवसर नहीं दिया – प्रावधानों की अपालना – आदेश अपास्त किया। *सजन राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* **2005(1) DNJ (Raj.) 544.**

धारा 14 – राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 – धारा 9 – परिसीमा अधिनियम, 1963 – धारा 5 – आवंटन को निरस्त करना – अपील पेश करने में विलम्ब – विलम्ब माफ करना – 04.02.1975 को आवंटन निरस्त करने के बाद उपनिवेशन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा भूमि का मूल्य किश्तों में प्रार्थी से लिया गया – 26.02.1986 को मांग जमा कराने हेतु नोटिस भी जारी किया अन्यथा वह सिंचाई सुविधा से वंचित हो जायेगा – पत्रावली में आवंटन निरस्त करना 09.05.1990 को अंकित किया गया – आदेश 04.02.1975 की जानकारी प्रार्थी को होना सन्देहास्पद है – मामले के तथ्यों को देखते हुए विलम्ब माफ कर देना चाहिये था – अभिनिर्णित, आदेश संवहनीय नहीं है व अपास्त किये तथा मामला राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। *नाथूराम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* **2006(2) DNJ (Raj.) 650.**

15. पुनः प्रवेश की शक्ति तथा कतिपय मामलों में क्षतिपूर्ति के बारे में उपबन्ध – जहां धारा 14 के अधीन काश्तकारी के पुनर्ग्रहण का आदेश दिया गया है, कलक्टर, बिना कटी तथा बिना एकत्रित फसल के लिए और सुधार, यदि कोई हो, और जो काश्तकार द्वारा किये गये हों, के लिये क्षतिपूर्ति करने पर जो कलक्टर नियत करेगा, भूमि पर तुरन्त पुनः प्रवेश करने और उसे कब्जे में लेने का आदेश दे सकेगा :

परन्तु, यदि काश्तकारी का आवण्टन किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाये, तो निर्गामी (जाने वाले) काश्तकार को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि, यदि कोई हो, कलक्टर द्वारा, भागन्ता (आने वाले) काश्तकार से वसूल किये जाने योग्य होगी।

16. निवासीय प्रयोजनों के लिए आवण्टित स्थलों पर निर्माणों के लिए क्षतिपूर्ति तथा उन पर पुनः प्रवेश के लिए उपबन्ध – ऐसे किसी भी मामले में, जहां काश्तकार को उसकी काश्तकारी को ध्यान में रखते हुये निवासीय प्रयोजनों के लिए कोई स्थल आवंटित किया गया है और इस अधिनियम की धारा 14 तथा 15 के उपबन्धों के अधीन ऐसी काश्तकारी का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है, जो कलक्टर ऐसे स्थल पर पुनः प्रवेश तथा कब्जा करने के आदेश दे सकेगा :

परन्तु कलक्टर उक्त काश्तकार को ऐसे स्थल पर उसके द्वारा किये गये किन्हीं भी निर्माणों या सुधारों के लिए युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति नियत करेगा और देगा, या उसे उनको हटाने देगा।

17. कतिपय काश्तकारी तथा शर्तों की व्यावृति – धारा 14, धारा 15 या धारा 16 की कोई भी बात –

(क) [1][x x x x]

(ख) वृक्ष लगाने वाले काश्तकारों से संबंधित विवरण से भिन्न शर्तों के किसी भी विवरण में सम्मिलित वृक्ष-कृषि के बारे में किसी शर्त के किसी भी भंग पर लागू नही होगी।

18. [2][राज्य सरकार] की देय राशियां भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय – इस अधिनियम के उपबन्धो या इसके अधीन बनाये गये नियमों और जारी की गई शर्तो के अधीन प्रदान की हुई काश्तकारी के बारे में तथा जुर्मानो, अभिहरणों, खर्चों तथा शास्तियों के कारण राज्य सरकार को देय समस्त राशियां इस प्रकार वसूलीय होगी मानो वे भू-राजस्व की बकाया थीं।

19. शर्तों के निराकरण की शक्ति – राज्य सरकार, किसी भी समय, [3][शासकीय राज-पत्र] में अधिसूचना द्वारा काश्तकारों पर, उनकी भू-घृति की शर्तों के भाग के रूप में लगाई गई परिसीमाओं तथा बाध्यताओं में से किसी भी निराकरण कर सकेगी।

20. कतिपय खातेदार काश्तकारों पर लागू होने वाली विशेष शर्तें – किसी भी विधि में या इस अधिनियम के अधीन शर्तों के जारी किये गये किसी भी विवरण में किसी बात के होने पर भी, काश्तकार, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी भूमि में, जिस पर तत्समय यह अधिनियम लागू है, अधिकार अर्जित कर लिये हैं, ऐसी भूमि के बारे में इस अधिनियम की अनुसूची में दी गई शर्तों द्वारा आबद्ध होगा।

टिप्पणी

इस धारा के प्रावधानों से स्पष्ट है कि कोई खातेदार काश्तकार, जिसने अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व किसी भूमि में अधिकार अभिप्राप्त कर लिए हैं, अधिनियम की अनुसूची में वर्णित शर्तों से बाध्य होगा तथा इस अधिनियम के अधीन जारी शर्तों का कोई विवरण ऐसे काश्तकारों पर लागू नहीं होगा।

इस धारा के प्रभाव से, राजस्थान (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955, उन खातेदारों पर लागू नहीं होती हैं, जिन्होंने अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व खातेदारी अधिकार अभिप्राप्त कर लिये है, अतः उपखण्ड अधिकारी को ऐसी खातेदारी के भूमि में मार्ग प्रदान करने की अधिकारिता नही है। *जयसिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1991 (2) RLW 172 : 1991 (2) RLR 546

21. कतिपय पशुओं की कुर्की या विक्रय के लिये दायित्वाधीन न होना – शर्तों के किसी विहित विवरण के अनुसार रखा गया कोई भी पक्ष किसी भी डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रित नही किया जा सकेगा।

[1][**22. भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग तथा पुनः प्रवेश** – (1) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे उपनिवेश में, जिस पर उसका कोई अधिकार या हक नही है अथवा विधिपूर्ण प्राधिकार के

---

1. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 द्वारा विलोपित।
2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।

बिना किसी भूमि का अधिभोग करता है या उसका अधिभोग चालू रखता है, अतिचारी माना जायेगा तथा [1][तहसीलदार] द्वारा स्वप्रेरणा से या व्यक्ति, जिसकी सुपुर्दगी में ऐसी भूमि रखी गई है के आवेदन पर किसी भी समय संक्षेपतः बेदखल किया जा सकेगा और ऐसी भूमि पर की कोई फसल, पेड़ तथा परिनिर्मित कोई भवन या अन्य संनिर्माण या ऐसी भूमि पर विक्षिप्त कोई वस्तु, यदि ऐसे युक्तियुक्त समय, जो समय-समय पर [3][तहसीलदार] इस प्रयोजनार्थ नियत करे, के भीतर नही हटाई गई है, राज्य सरकार को समपहृत होने तथा [4][तहसीलदार] के निदेशानुसार व्ययनित किये जाने की दायी होगी :

परन्तु [5][तहसीलदार] किसी ऐसे भवन या अन्य संनिर्माण के समपहरण का आदेश करने के बजाय सम्पूर्ण या उसके किसी भाग को तोड़ने का आदेश दे सकेगा।

[6][(2) उक्त अतिक्रमणकारी, प्रत्येक कृषि वर्ष के लिये, जिसमें वह पूरे वर्ष अथवा किसी भाग में भूमि का अप्राधिकृत कब्जेदार रहा है, आगे और शास्ति के भुगतान के दायित्वधीन होगा, जो उस अतिक्रमण के प्रथम कार्य के लिये, वार्षिक लगान या निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, के पश्चात् 50 गुना तक हो सकेगी। अतिक्रमण के प्रत्येक पश्चात्वर्ती कार्य की दशा में, वह [7][तहसीलदार] के आदेश से तीन महीने तक की कालावधि के लिए सिविल जेल को सुपुर्द किये जाने और यथा उपरोक्त सीमा तक शास्ति अदा करने का दायी होगा। उक्त शास्ति की रकम भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेंगी।]

(3) उप-धारा (1) के अधीन बेदखली की कार्यवाहियां करने से पूर्व [8][तहसीलदार] ऐसे व्यक्ति, जिसकी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अधिभोग रखे रहने या अधिभोग बनाये रखने की रिपोर्ट की गई है, उस व्यक्ति को एक नोटिस, ऐसी भूमि को विनिर्दिष्ट करते हुए तथा उपसंजात होने एवं यह हेतुक दर्शित करने कि उसे वहां से बेदखल क्यों किया जाये, की अपेक्षा करते हुए नोटिस तामील करवायेगा।

(4) निम्नलिखित मामलों के किसी मामले में, अर्थात् –

(i) जहां अतिचारी उपर्युक्त उप-धारा (3) के अधीन जारी किये गये नोटिस के उत्तर में न तो भूमि खाली ही करता है और न उपसंजात ही होता है; या

(ii) जहां ऐसे नोटिस के उत्तर में अतिचारी भूमि खाली नहीं करता और उपसंजात होता है, किन्तु –

(क) कोई हेतुक दर्शित नही करता है; या

---

1. 1974 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. 1976 के राजस्थान अधिनियम सं. 04 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, जिसे ऐसी जांच तथा सुनवाई जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो, के पश्चात् नामन्जूर कर दिया गया है;

तो [1][तहसीलदार] जब तक कि अतिचारी खंड (ii) के अन्तर्गत एक सप्ताह के भीतर भूमि को खाली करने का वचन नहीं देता है और ऐसे समय के भीतर खाली नहीं करता है, ऐसी भूमि से अतिचारी को हटाने का आदेश देगा और हटायेगा या उसे वहां से हटाने तथा उसका कब्जा लेने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्त करेगा।

टिप्पणी

अधिनियम की पूर्वतन् धारा 22, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19(1)(एफ) के प्रतिकुल होने से असंविधानिक घोषित की गई। *जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य,* 1973 WLN 52, *महाराजा हिम्मत सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1973 WLN 107 : 1973 RLW 409 : AIR 1973 Raj. 254

नवीन धारा 22, 1974 के राजस्थान अधिनियम संख्या 23 द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, लेकिन इसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है।

अधिनियम की धारा 22 के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने व शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपनिवेशन तहसीलदार को नियुक्त करने वाली दिनांक 30 मई, 1978 की अधिसूचना विधिपूर्ण एवं वैध अभिनिर्णत हुई। *राजस्थान राज्य बनाम किशन सिंह,* AIR 1992 SC 1946.

यह धारा उपनिवेश क्षेत्र में अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली से सम्बन्धित है। इस धारा के अधीन की जाने वाली कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही है एवं बेदखली का आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना आवश्यक है। बलपूर्वक बेदखली वांछित नही है। *कर्म सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य,* AIR 1971 Raj. 265 : 1971 RLW 551 : 1971 WLN 151.

अधिनियम की धारा 22 बेदखली के संक्षिप्त तरीके के सम्बन्ध में उपबंध करती है – अचल सम्पति के स्वत्व सम्बन्धी विवाद इस धारा के अधीन निर्णीत नहीं किये जा सकते – धारा 22 सिविल न्यायालयों कि अधिकारिता का विकल्प नहीं हैं। *राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा,* RLW 2000 (3) SC 398 : 2001 (1) RRT 91.

धारा 22 सरकारी भूमि के साथ-साथ आवंटित भूमि पर भी लागू होती है – भाव "व्यक्ति, जिसकी सुपुर्दगी में ऐसी भूमि रखी गई है" आवंटी की ओर इंगित करता है। *रमेश बनाम बलदेव सिंह व अन्य,* 2002 (1) RRT 523 (RB).

धारा 22 – नायब तहसीलदार ने निर्णित किया कि प्रार्थी के पक्ष में विक्रय विलेख को वैध विक्रय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती और शास्ति आरोपित की तथा भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने हेतु पटवारी को निर्देश दिया – आदेश धारा 75 के अन्तर्गत कलक्टर के समक्ष अपील योग्य है – अभिनिर्णित, अपील पेश करने का प्रार्थी को निर्देश दिया। *सिंगारा सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2013(1) DNJ (Raj.) 171.

23. शास्तियां – यदि कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली श्रेणी के अधिकारी की अनुमति के बिना :–

(क) किसी भी ऐसी भूमि को खेती के लिए साफ करता है या नौ तोड़ करता है या जोतता है, जो किसी काश्तकारी में या आवंटित निवासीय अहाते में

---

1. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।

सम्मिलित नहीं है या जो नगर अथवा गांव के समुदाय अथवा उसके किसी अनुभाग के सामान्य प्रयोजनों के लिए या सड़क, नहर या जल मार्ग के लिए पृथक् रख दी गई है; या

(ख) ऐसी किसी भी भूमि पर, [1][किसी भी प्रयोजन के लिए किसी निर्माण या अन्य किसी संरचना का] परिनिर्माण करता है; या

(ग) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्षों को गिराता है या अन्यथा नष्ट करता है; या

(घ) ऐसी किसी भूमि पर अन्यथा अतिक्रमण करता है; या

(ङ) ऐसी किसी भूमि पर कोई खुदाई करता है, या जल सरणी बनाता है;

तो वह कलक्टर के आदेश से या उसके प्राधिकार के अधीन की गई शिकायत पर, मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराये जाने पर जुर्माने से दण्डित होगा, जो रू. 500/– से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण – किसी काश्तकार द्वारा उसकी जोत के आर-पार जाने वाली गांव की किसी सड़क या जल मार्ग पर लगाये गये वृक्षों को गिराना इस धारा के अधीन अपराध नहीं है।

24. अपराधों के संबंध में कलक्टर की अतिरिक्त शक्तियां – जब कलक्टर का समाधान हो जाये कि धारा 23 के अधीन दण्डनीय कोई कार्य किया गया है; तो वह धारा के अधीन अपराधी के विरूद्ध कार्यवाही करने के बदले में या अपराधी के उस धारा के अधीन दोषी सिद्ध हो जाने के पश्चात् –

(i) धारा 23 (क) के अधीन अपराध के मामले में, इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुये जोती गई किसी भी भूमि पर उगी फसलों का अधिहरण कर सकेगा, या यदि फसलें काटली गई हो, तो ऐसी राशि, जो वह उनके मूल्य के रूप में निर्धारित करे, अपराधी से वसूल कर सकेगा;

(ii) धारा 23 (ग) के अधीन अपराध के मामले में, ऐसी राशि, जो वह नष्ट किये गये वृक्ष या वृक्षों के मूल्य के रूप में निर्धारित करें, वसूल कर सकेगा;

(iii) धारा 23 (ख), (ग) या (ङ) के अधीन अपराध के मामले में, निर्माण या अन्य अधिक्रमण को तुड़वा दे या उत्खात अथवा जलसरणी को भरवा देगा, और ऐसा करने का खर्च ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से वसूल सकेगा।

25. अधिनियम के अधीन उदभूत होने वाले मामलों के संबंध में सिविल न्यायलय के अधिकार क्षेत्र का वर्जन – किसी सिविल न्यायलय को, ऐसे किसी भी मामले में, जिसका निपटारा करने के लिए इस अधिनियम द्वारा [2][कलक्टर या तहसीलदार] को सशक्त किया गया है, अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, और वह उस मामले का, जिसमें [3][राज्य सरकार या कलक्टर या तहसीलदार] या कोई अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसमें निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग करना है, संज्ञान नही करेगा।

---

1. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 05 द्वारा प्रतिस्थापित।

टिप्पणी

धारा 25 सपठित धारा 22 – सिविल न्यायालय की अधिकारिता – अचल सम्पति के स्वत्व सम्बन्धी विवाद – साधारण सिविल न्यायालय को उन्हें अभिनिर्णित करने की अधिकारिता से वंचित नहीं किया जा सकता – धारा 22 बेदखली का मात्र संक्षिप्त तरीका उपबंधित करती है। यह सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का विकल्प नहीं है। *राजस्थान राज्य बनाम हरफूल सिंह (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों के द्वारा,* RLW 2000 (3) SC 398 : 2001 (1) RRT 91,

26. इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों के लिए लोक सेवकों का बचाव – इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के लिये राज्य सरकार या किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध कोई वाद नही चलाया जा सकेगा।

27. अधिनियम के पूर्व पारित आदेशों का वैधीकरण – राज्य सरकार द्वारा या किसी उपनिवेश के लिये नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा या ऐसे किसी भी क्षेत्र, जिस पर यह अधिनियम लागू किया जाये, में किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अब तक किया गया कोई भी कार्य या पारित आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं है, इस अधिनियम के अधीन किया गया या पारित समझा जायेगा।

28. नियम बनाने की शक्ति – राज्य सरकार, [1][राज-पत्र] में अधिसूचना द्वारा, साधारणतः इस अधिनियम के उपबंधो तथा प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिये और विशिष्टतः उन समस्त मामलों के लिए नियम बना सकेगी, जिनका इस अधिनियम द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है या जो इसके अधीन विहित किये जायें।

टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, अधिसूचना नहीं है, जब तक कि उसका राज-पत्र में प्रकाशन नहीं हो तथा वह विधि का प्रभाव नहीं रखता। ऐसे परिपत्र की प्रकृति केवल प्रशासनिक दिशा निर्देश की है।

29. नियमों इत्यादि का राज्य विधान-मण्डल के संकलन द्वारा विखण्डन या उतान्तरण के अध्ययधीन होना – इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा शर्तों का जारी किया गया प्रत्येक विवरण या जारी की गई अधिसूचना, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, उसके ठीक बाद के सत्र में रखें जायेगे, और उस सदन के संकल्प द्वारा विखंडित या उतांतरित किये जा सकेंगे, और इस प्रकार किया गया विखण्डन या उतान्तरण, [2][राज-पत्र] में अधिसूचना द्वारा, प्रकाशन के पश्चात् प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

30. [3][x x x x]

---

1. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. 1957 के राजस्थान अधिनियम सं. 27 द्वारा विलोपित।

अनूसूची

अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से भूमि में खातेदारी प्राधिकार धारण करने वालों पर लागू होने वाली शर्ते

1. जलसरणियों तथा खनिजों संबंधी अपवाद – राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व से किसी काश्तकार द्वारा खातेदारी अधिकारों के अन्तर्गत धारित भूमि में से तथा उसके बारे में एतद द्वारा निम्नलिखित को पूर्ण रूप से अलग करती है तथा अपने पास आरक्षित करती है –

(i) उक्त भूमि या उसके किसी भाग में स्थित वितरिका, जलसरिणयों के लिये पहले से चिन्हित, खोदे हुये या अन्यथा उपयोग में लाये गये समस्त स्थल, और

(ii) उक्त भूमि या उसके किसी भाग के बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक उपयुक्त समस्त सुविधाधिकार के साथ-साथ उक्त भूमि या उसके किसी भाग में या उसकें नीचे समस्त खानों तथा खनिजों, कोयला, स्वर्णधावनों, भूमि तेल तथा खादानों के तथा उन पर विद्यमान समस्त अधिकार।

सर्वेक्षण आधार रेखा के दोनों तरफ पांच फीट की चौड़ाई तथा सड़क की किन्ही रेखाओं को भी जिन्हें यद्यपि अभी तक बनाया नहीं गया है, किन्तु भूमि पर चिन्हित किया जा चुका है या जिनका आयोजन भविष्य में उपनिवेशन तथा समेकन संक्रियाओं के दौरान किया जाये, सम्मिलित करते हुए उक्त भूमि या उसके किसी भाग के आर-पार जाने वाले विद्यमान सार्वजनिक भागों के सार्वजनिक उपयोग के अधिकार को वह उसी प्रकार अलग करके अपने पास रखती तथा आरक्षित करती है।

2. सरकार की खनिज इत्यादि की खोज करने के लिए प्रवेश करने की शक्ति – काश्तकार, राज्य सरकार के अधिकारियो को उक्त भूमि या उसके समस्त भागों में या उसके नीचे किसी ऐसी किन्हीं भी खानों एवं खनिजों, कोयला, स्वर्णधावनों, भूमि तेल तथा खदानों की खोज करने, उसको चलाने, उन्हें प्राप्त करने अथवा ले जाने के प्रयोजन के लिए और भूमि के तथा भूमि या उसके समस्त भागों में या उसके नीचे समस्त खानों एवं खनिजों, कोयले, स्वर्णधावनों, भूमि का तेल, खादानो तथा सुविधाधिकारों के तथा उन पर राज्य सरकार के लिए इसमें इसके पूर्व आरक्षित अधिकारों के पूर्ण उपभोग के लिए आवश्यक तथा समीचीन समस्त कार्य करने के लिए हर समय प्रवेश करन की अनुमति देगा।

3. प्रवेश द्वारा नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति – राज्य सरकार खण्ड (1) तथा (2) में स्वयं के लिये आरक्षित अधिकारी के प्रयोग द्वारा हुये संपूर्ण नुकसान के लिए काश्तकार की क्षतिपूर्ति की संदाय करेगी तथा ऐसी क्षतिपूर्ति का निर्धारण कलक्टर द्वारा किया जायेगा, और यदि काश्तकार का कलक्टर के निष्कर्ष से समाधान नहीं होता है, तो वह राजस्व अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा, जिसका आदेश अंतिम होगा।

4. सीमाओं का अंकन – काश्तकार ऐसे निर्देशों को, जो कलक्टर समय-समय पर उक्त भूमि या उसके किसी भाग की सीमाओं पर सीमा चिन्हों के बनाने की उससे अपेक्षा करते हुये जारी करे, सम्यक्-रूप से पालन करेगा और उनके बन जाने पर, उन्हें, कलक्टर को, समाधानप्रद रूप में, अच्छी तरह मरम्मत-शुदा रखेगा।

5. विवादों का निपटारा – राज्य सरकार तथा काश्तकार के बीच सम्पति तथा एतदद्वारा राज्य सरकार के लिये आरक्षित अधिकारों के बारे में या किसी भी प्रकार उनसे संबंधित किसी भी मामले के बारे में, या काश्तकारी की शर्तों में से किसी के भी बारे में, या तत्संबधी किसी भी मामले अथवा बात के बारे में, किसी विवाद बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय राज्य सरकार तथा काश्तकारों के बीच अंतिम और निश्चायक होगा।

टिप्पणी – अधिनियम की धारा 20 के प्रभाव से एक खातेदार काश्तकार, जिसने अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व किसी भूमि गें अधिकार अभिप्राप्त किये हों, इस अनुसूची में वर्णित शर्तों से बाध्य होगा।